न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 81/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामभजन मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री हेमराज डागर पुत्र घासीराम चौधरी डागर उद्योग, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरु
2. दीपक रैगर पुत्र श्री प्रेमचंद रैगर निवासी रामदेव कॉलोनी, रैगरों का मोहल्ला रीको रोड बगरु, तहसील सांगानेर।
3. श्री रामचरण चौधरी पुत्र श्री नाथूराम चौधरी निवासी जाट मोहल्ला, नया गांव, ग्राम पंचायत पडासोली तहसील दूदू।

4. निर्णय दिनांक : 04.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी रामभजन मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, उपखंड सांगानेर जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.07.2014 को नीले केरोसीन तेल के अवैध भण्डारण परिवहन एवं खरीद फरोख्त की सूचना प्राप्त होने पर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरू के अटैच खातेदारी जमीन में निर्मित परिसर प्लाट नम्बर एच 110 के सामने एवं प्लाट नम्बर एच 131 की पीछे श्री हेमराज डागर, डागर उद्योग रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बगरू पर पंहुचे। मौके पर उक्त परिसर के गेट पर एक टेंकर नम्बर एचआर 45ए 6256 पीला–नीला रंग भारत पेट्रोलियम अंकित खडा हुआ था। जिसमें से अप्रार्थी 2 व 3 एक इलेक्ट्रिक मोटर एवं प्लास्टिक पाइप की सहायता से पेट्रोलियम उत्पाद एक जमीन में गढे हुये टेंकर बॉडीनूमा टेक में खाली करते हुये पाये गये। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि उक्त व्यवसाय परिसर के मालिक हेमराज डागर का है एवं वे उनके पास नौकरी करते है। उक्त परिसर में श्री हेमराज डागर के द्वारा जले हुये ल्यूब ऑयल में नीले केरोसीन को मिलाकर ईधन के रूप में फैक्ट्रियों को सप्लाई देते है। मौके पर कॉरोबार परिसर के गेट पर खडे टेंकर नम्बर एचआर 45ए 6256 का परीक्षण करने पर उसमें चार कम्पाटो में 20 हजार लीटर नीला केरोसीन (... डाइड केरोसीन) एवं एक कम्पोट में 4 हजार लीटर संदिग्ध जला हुआ ल्यूब ऑयल भरा हुआ पाया गया साथ ही उक्त टेंकर को परिसर के अंदर स्थित गढे हुये टेंक से 1 लगभग 45 फिट के प्लास्टिक पाईप मय इलेक्ट्रिक मोटर से खाली करने हेतु जोडा हुआ पाया गया। टेंकर के पास ही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या पिकअप नम्बर आरजे 14 जीए 9303 खडी हुई पाई गयी जिसमें परीक्षण करने पर 7 लोहे के ड्रमों में 1380 लीटर नीला केरोसीन रखा हुआ पाया गया। पूछताछ में उक्त पिकअप हेमराज डागर की होना एवं नीला केरोसीन खाली करने हेतु आया जाना बताया गया। टेंकर की तलाशी मे उसमें स्वामित्व संबंधी व अन्य दस्तावेज पाये गये जिनमें उक्त वाहन का मालिक श्री संजय पुत्र श्री वेदप्रकार निवासी 7741 रूप कॉलोनी सदर बाजार न्यू देहली अंकित पात्र गया। उपरोक्त के अलावा उक्त परिसर के अंदर एक सफेद रंग की अन्य पिकअप वाहन संख्या आरजे 14 2जी 2120 में भी लोहे के पांच ड्रमों में 1000 लीटर नीला केरोसीन रखा हुआ पाया गया साथ ही एक जमीन में गढे हुये टेंकर बॉडीनूमा टेंकर में 300 लीटर नीला केरोसीन परिसर में 5 लोहे के ड्रमों में 1000 लीटर नीला केरोसीन, लोहे के 16 खाली ड्रम, प्लास्टिक के 11 ड्रम खाली पुरानी विद्युत मोटर बिना मार्का हरे रंग का प्लास्टिक का लगभग 70 फिट लम्बा पाईप 1 इलेक्ट्रिक मोटर लाल रंग विजय ब्राण्ड भी रखी पाई गयी। उक्त के संबध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई वैध दस्तावेज व संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में 23675.5 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) नीला केरोसीन, 3997.750 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) जले हुये संदिग्ध ल्यूब ऑयल, टेंकर नम्बर एचआर 45 ए 6256, पिकअप नम्बर आरजे 14 2जी 2120 पिकअप नम्बर आरजे 14 जीए 9303 तथा 1 जनरेटर भारत पी एक्स मार्का सीरीयल नम्बर

Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

2013–7, विद्युत मोटर तीन, 33 ड्रम लोहे के व 11 ड्रम प्लास्टिक के व प्लास्टिक का 70 फिट एवं 45 फिट लम्बे दो पाईप जब्त किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द पूछताछ, फर्द नमूना, मौका नक्शा व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 13.07.2022 को अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने उपस्थिति दी। दिनांक 17.07.2014 को श्री राममेहर पुत्र श्री मांगेराम ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को टेंकर नम्बर एचआर 45 ए 6256 का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे / जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 11,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 23.07.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 14.10.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को पिकअप नम्बर आरजे 14 2जी 2120 व आरजे 14 जीए 9303 का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे / जमानतनामे पर गाडीयों को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दोनों गाडियों को क्रमशः रुपये 2,50,000/– व 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 14.10.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण / अभिभाषकगण की ओर से जवाब पेश ना करते हुए सीधे बहस की गयी। अभिभाषकगण ने बहस में कथन किया कि उक्त परिसर में अप्रार्थीगण द्वारा नीले केरोसीन का बेचान किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती एवं ना ही किसी प्रकार की कालाबाजारी की जाती है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती के अनुसार जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 04.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 02.07.2014 को जांच दल ने अवैध केरोसीन, उनके भण्डारण व परिवहन में लिप्त गाडियां तथा अन्य सामान जब्त किये। अप्रार्थीगण / अभिभाषकगण द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, ना ही वैध दस्तावेज पेश किये गये। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 इलेक्ट्रिक मोटर व पाइप की सहायता से पेट्रोलियम उत्पाद को जमीन में गढे हुए टेंक में खाली करते हुए पकडे गए। दोनों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उक्त परिसर में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जले हुए ल्यूब ऑयल में नीला केरोसीन को मिलाकर ईंधन के रुप में को फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जाता है। मौके पर जला हुआ तेल, भारी मात्रा में केरोसीन, इनके भण्डारण व स्थानान्तरण के लिए प्रयोग में लिये जाने वाले सामान यथा इलेक्ट्रिक मोटर, पाइप, लोडिंग गाडियां मिलने तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की नीले केरोसीन में ल्यूब ऑयल मिलाकर ईंधन के रुप में को फैक्ट्रियों को सप्लाई करने की स्वीकारोक्ति से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले नीले केरोसीन का अवैध भण्डारण व परिवहन कर कालाबाजारी किया जाना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति अप्रार्थीगण ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन एवं अधिकतम कीमत नियतन आदेश 1993) के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 23675.5 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) नीला केरोसीन, 3997.750 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) जले हुये संदिग्ध ल्यूब ऑयल, 1 जनरेटर भारत पी एक्स मर्का सीरीयल नम्बर 2013–7, विद्युत मोटर तीन, 33 ड्रम लोहे के व 11 ड्रम प्लास्टिक के व प्लास्टिक का 70 फिट एवं 45 फिट लम्बे दो पाईप तथा केरोसीन के अवैध भण्डारण व परिवहन में काम ली जा रहे टेंकर नम्बर एचआर 45 ए 6256, पिकअप नम्बर आरजे 14 2जी 2120, पिकअप नम्बर आरजे 14 जीए 9303 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जयपुर।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate - III • JAIPUR •